



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक : लो०अ०वि० / सम्ब० / 2025 / 74320

दिनांक : 17.03.2025

कार्यालय आदेश

एतद्वारा डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक को सूचित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालय/संस्थान में प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता पद पर चयन हेतु श्रीराम सिंह शलभ भवन (साक्षात्कार हाल) में चयन समिति की बैठक/साक्षात्कार आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे :-

1. प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान द्वारा श्रीराम सिंह शलभ भवन (साक्षात्कार हाल) के आवंटन किए जाने की सूचना कुलसचिव कार्यालय में पूर्व में दिये जाने के साथ-साथ चयन समिति की बैठक/साक्षात्कार के आयोजन की तिथि को साक्षात्कार हाल में प्राप्ति/रिसीविंग की एक प्रति भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। रविवार के दिन चयन समिति की बैठक/साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा।
2. श्रीराम सिंह शलभ भवन (साक्षात्कार हाल) में संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के सदस्यों/स्टॉफ के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित एवं प्रतिबंधित होगा।
3. चयन समिति की संस्तुति/कार्यवाही (Proceedings) में अद्योलिखित अनुमोदित निर्देश (बोल्ड में) को भी जोड़ते हुए चयन समिति के सदस्यों द्वारा सत्यापित कराया जाना होगा।

“उपरोक्त प्राचार्य/प्रवक्ता चयन प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक अभिलेखों का मिलान मूल शैक्षिक अभिलेखों से कर लिया गया है। इन अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षिक अभिलेख व अन्य प्रपत्र सत्य हैं, असत्य पाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी (विषय विशेषज्ञों) की होगी।”

4. चयन समिति की बैठक विश्वविद्यालय के श्रीरामसिंह शलभ भवन (साक्षात्कार हाल) में आयोजित की जाएगी। चयन समिति के समस्त सदस्यों के साथ-साथ प्रबंधक अथवा प्रबंधक प्रतिनिधि एवं सभी अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ होना तथा फोटोग्राफ पर सभी विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रबंधक अथवा प्रबंधक प्रतिनिधि एवं सभी अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर भी आवश्यक है।
5. प्रवक्ताओं के चयन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रवक्ताओं के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।
6. एक पद के सापेक्ष तीन अर्ह अभ्यर्थियों का होना अनिवार्य है।
7. यदि महाविद्यालय/संस्थान के प्रबन्धक को साक्षात्कार में उपस्थित होने में असमर्थता है तो उस दशा में प्रबन्धक द्वारा नामित प्रबंधक प्रतिनिधि के नाम एक अधिकार पत्र (Authority Letter) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक।
2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के साथ-साथ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय/संस्थान की कॉलेज लागिन में भी अपलोड करने का कष्ट करें।
3. प्रभारी, सम्बद्धता अनुभाग / सहपाठक कुलसचिव (सम्ब०)।
4. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव